न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण

(जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 42/2018

–:: वादीया ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. लीला देवी पुत्री पूनाराम पत्नि हड़मानराम जाति–बावरी, निवासी–जवासीया, तहसील पीपाड़, जिला–जोधपुर(राज.)		1. प्रकाश पुत्र पुनाराम ना.बा. 2. पूजादेवी पुत्री पुनाराम ना.बा. 3. पिस्ता देवी पुत्री पुनाराम 4. उगमादेवी पुत्री पुनाराम 5. डालीदेवी पुत्री पुनाराम 6. तोलादेवी पुत्री पुनाराम 7. दुर्गादेवी पुत्री पुनाराम जातियान–बावरी, निवासीगण–पृथ्वीपुरा तहसील–जैतारण जिला–पाली (प्रति.सं. 1व2ना०बा० जरिये बहिन दुर्गादेवी पुत्री पूनाराम के) 8. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.02/02/2018

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 25/06/2018**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया में खसरा नम्बर 11 रकबा 13–19 बीघा (2.2582 बिस्वासन्सी) कृषि भूमि आई हुई है। कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादीया का भी हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त है। वादीया को उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी विरासत से प्राप्त हुई है। जिसमें वादीया का कुल भूमि में 1/7 वां हिस्से की खातेदार काश्तकार है। वादीया के पिता पुनाराम के फौत हो जाने के बाद वादीया उक्त कृषि भूमि में जरिये म्यूटेशन संख्या 668 दिनांक 2/6/2016 को भरा गया था। जिसमें वादीया का नाम लीला देवी की जगह सुशीलादेवी पटवारी की गलती से फौतेदगी म्यूटेशन भर दिया गया। वादीया को उक्त म्यूटेशन की जानकारी नहीं हुई थी। वादीया दिनांक 5/1/2018 को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु अपने पुश्तैनी कृषिभूमि की नकल लेने हेतु पटवार हल्का गरनिया से उक्त नकल प्राप्त की तब प्रार्थीया को अपने नाम की गलत ऐन्ट्री का ज्ञान हुआ। तथा वादीया के पिता पुनाराम के सुशीलादेवी नाम की कोई पुत्री नही है। जिस पर वादीया ने राजस्व अधिकारियों से उक्त रोंग एन्ट्री को दुरुस्त कर सुशीलादेवी के स्थान पर लीलादेवी करने का निवेदन किया तो उन्होने मना कर दिया। जबकि वादीया के जाति प्रमाण पत्र, परिचया पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, विवाह पंजीयन कार्ड एवं राशन कार्ड में वादीया का नाम लीला दर्ज है। वादीया का नाम फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा पटवारी की गलती से सुशीलादेवी के नाम से रोंग एन्ट्री की गई जबकि वादीया का नाम लीला देवी है। वादीया उक्त लीलादेवी के नाम से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की कानूनी अधिकारीणी है। वादीया को ग्राम पृथ्वीपुरा में अपने ससुराल जवासिया में लीलादेवी पुत्र पुनाराम के नाम से ही जानी व पहचानी जाती है। वादीया का कभी सुशीलादेवी नाम कभी नही रहा है। वादीया अनपढ है व अपने ससुराल जवासिया अपने पति के साथ निवास करती है। वादीया का अगर राजस्व रेकर्ड में लीलादेवी के नाम से सही ऐन्ट्री नही की गई तो वादीया को

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तथा वह अपने हक हकुकों से भी वंचित रह जायेगी। वादीया को असीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए वादीया के पास उक्त वाद बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से उक्त वाद बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। बिनाय वाद दिनांक 5/1/2018 को वादीया द्वारा गरनिया स्थित पटवार हल्का से जमाबंदी नकल निकलवाने पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुशीलादेवी की रोंग एन्ट्री का पता चलने पर राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क करने तथा रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करने का कहने पर मना करने पर ग्राम गरनिया में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से वकील राजेन्द्र बोहरा ने वकालतनामव पेश किया। सा.मि. किया गया। वादीया मय वकील एवं प्रतिवादीगण मय वकील ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा में जाहिर किया कि उक्त भूमि वादीया का 1/7 हिस्सा आता हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीया का नाम सुशिलादेवी के स्थान पर सही नाम लीलादेवी किया जाता हैं तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प–गरनिया में पेश हुई। तहसीलदार जैतारण एवं पटवारी हल्का ने फर्द मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मजमें आम में जांच करने पर मौत बिरान ने बताया कि प्रार्थीया लीलादेवी के पिताजी पूनाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरणकरण संख्या 668 दर्ज किया गया। प्रार्थीया को पीहर में बोलचाल व लाडप्यार की भाषा में सुशीला कहते थे। नामान्तरणकरण करते समय प्रार्थीया के परिवार के द्वारा लाड प्यार का नाम सुशीलादेवी लिखवा दिया गया। जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम लीलादेवी है। प्रार्थीया के नाम का आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं अन्य सभी साक्ष्य दस्तावेजों में भी नाम लीला देवी ही है। राजस्व रेकर्ड में नाम लीला देवी के बजाय सुशीला सहवन से दर्ज हो गया । मौत बिरान ने बताया कि प्रार्थीया का नाम सुशीला देवी के बजाया लीलादेवी पुत्री पुनाराम दर्ज किया जाता है तो गांव में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। फर्द पढकर सुनाई गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, राजीनामा एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य सबूत में प्रस्तुत आधारकार्ड, राशन कार्ड, भारतीय निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रतिया पेश की जिसमें एवं जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का सही नाम लीलादेवी ही है। प्रार्थीया का गलत रूप में दर्ज नाम सुशिलादेवी के स्थान पर लीलादेवी सही कर दुरस्त किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पृथ्वीपुरा पटवार हल्का गरनिया में खसरा नम्बर 11 रकबा 13–19 बीघा (2.2582 बिस्वासन्सी) भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया के गलत दर्ज नाम सुशिलादेवी के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम लीलादेवी दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। ड्रिकी पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा.मि. किया गया। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/06/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–बांजाकुड़ी सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जैतारण (जिला–पाली)